संख्या-6/ 2015-सा-3-513/दस-2015-301(18)/2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 29 मई, 2015

विषय:- ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई-पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4/2015-सा-3-441/दस-2015-301(18)/2013, दिनॉक 30-04-2015 के क्रम में, निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या-पे0नि0/कम्प्यू0/ई0-पें0/2015/2939, दिनॉक 20-05-2015 द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि इलाहाबाद जनपद की सिविल लाईन्स ट्रेजरी अभी सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित नहीं की जा सकी है जिसके कारण इस ट्रेजरी से वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण ई-पेंशन सिस्टम पर अपलोड नहीं किये जा सके हैं, अत: अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के प्रस्ताव के अनुसार इलाहाबाद जनपद को ई-पेंशन सिस्टम स्वीकृति प्रणाली से सम्प्रति मुक्त रखा जाये।

2- निदेशक, पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा एतद्द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि जब तक इलाहाबाद सिविल लाईन्स ट्रेजरी सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित नहीं हो जाती तब के लिये, अगले आदेशों तक, इलाहाबाद जनपद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भांति निस्तारित किये जाते रहेंगे। शासनादेश संख्या-4/2015/सा-3-441/दस-2015-301(18)/2013, दिनॉक 30-04-2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--2/-

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 6/2015-सा-3-513(1)/दस-2015-301(18)/2013, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

4- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, इलाहाबाद कोषागार, कलेक्ट्रेट / सिविल लाईन्स।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।